



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2015/पौष 18, 1936

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2015/PAUSA 18, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2015

का.आ. 100(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्व-केंद्रीय जोन, रांची में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|-------|--|------------------|
| (i) | अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्व-केंद्रीय जोन, रांची | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्व-केंद्रीय जोन, रांची की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | डा. अशोक कुमार घोश,
प्रोफेसर कॉलोनी, शंओपुरी,
पी.ओ. शास्त्री नगर, पटना 800023 बिहार
(ई मेल - ashok.ghosh51@gmail.com ,
ghosh51@hotmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (iv) | डा. अंशुमाली,
क्वार्टर नं. सी/4, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस,
धनबाद 826004 झारखंड
(ई मेल - anshumali@rediffmail.com ,
malijnu@gmail.com) | अशासकीय
सदस्य |

- (v) डा. राजेश कुमार रंजन
सी-54, ए.जी. कॉलोनी, पी.ओ. आशियाना नगर,
पटना 800025 बिहार
(ई मेल - rajeshkranjan@gmail.com,
rajesh.ranjan@cub.ac.in)

अशासकीय
सदस्य

- (v) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्व-केंद्रीय जोन, रांची
की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी

सदस्य-सचिव

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने-अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) झारखंड सरकार:

- (i) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), पर्यावरण एवं वन विभाग, झारखंड सरकार;
(ii) संयुक्त सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार;

(ख) बिहार सरकार:

- (i) मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार;
(ii) विशेष सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार;

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधन और शर्तें उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

[फा. सं. 6-24/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2015

S.O. 100(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, East Central Zone, Ranchi (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and to perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely: -

- | | | |
|-------|--|--------------------------------|
| (i) | Head of the Regional Office, East Central Zone, Ranchi | Chairperson |
| (ii) | Seniormost officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, East Central Zone, Ranchi | Member |
| (iii) | Dr. Ashok K. Ghosh,
Professors Colony, Sheopuri,
P.O. Shastrinagar, Patna 800023, Bihar
(E-mail- ashok.ghosh51@gmail.com ,
ghosh51@hotmail.com) | Non-official
Member |
| (iv) | Dr. Anshumali,
Quarter No. C/4, Indian School of Mines,
Dhanbad 826004 Jharkhand
(E-mail- anshumali@rediffmail.com ,
malijnu@gmail.com) | Non-official
Member |